हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–109 / 2025.—–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2025 का विधयेक संख्यांक 4

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेष संषोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. अनुसूची 1–क का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का विधयेक संख्यांक 4

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेष संषोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 18 फरवरी 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. अनुसूची 1–क का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

(क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन सम्पत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित ।''।

(ख) अनुच्छेद 35 में,–

(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय की धारा 118 (2)(ज) ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूलाः–

बारह प्रतिशत × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि) / 100 ।''; और

(ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी", न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित.".।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

उदेश्यों और कारणें का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विभिन्न लिखतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें तर्कसंगत नहीं पाई गई हैं और उन्हें चरणबद्ध रीति में संशोधित किया जा रहा है। क्योंकि इस अधिनियम में राज्य सरकार की अनुज्ञा से हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन अंतरित संपत्ति के लिए लिखतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें वर्णित नहीं हैं, अतः अनको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 को 13 फरवरी 2025 को प्रख्यापित किया गया था और इसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 फरवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है

यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख......................, 2025.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Schedule 1-A.
3. Repeal and Savings.

Bill No. 4 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 18th day of February, 2025.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh, in the Schedule 1-A,-

(a) in article 23, in the proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.";

(b) in article 35,-

(i) in clause (a), at the end, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under section 118(2) (h) of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972:—
12% x market value x (period of lease)/100"; and

(ii) in clause (b), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".

3. Repeal and Savings.—(1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Odinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The rates of stamp duty in respect of various instruments under the Indian Stamp Act, 1899 as applicable in the State of Himachal Pradesh have not been found to be rationale and are being revised in a phased manner. Since, in the Act, rates of stamp duty in respect of instruments for transferring the property with the permission of the State Government under section 118 (2) (h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 have not been mentioned, therefore, they are required to be specified.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Odinance, 2025 on the 13th day of February, 2025 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the 18th day of February, 2025. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The.........................., 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-